अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 477(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 30.11.1992 की अधिसूचना सं0 का0 आ0 878 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "दिल्ली बधिर संघ, 92,कमला मार्केट, नई दिल्ली-110022" द्वारा "बधिरों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1993-94 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 03.05.1995 की अधिसूचना सं० का0आ० 404 (अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1996-1997 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.05.1998 की अधिसूचना सं० का0आ० 437 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 18.10.2001 की अधिसूचना सं० का0आ० 1049 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं० का0आ० 717 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 04.06.2008 की अधिसूचना सं० का0आ० 1314 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं० का0आ० 2526 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 21 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "दिल्ली बधिर संघ, 92,कमला मार्केट, नई दिल्ली-110022" द्वारा चलाई जा रही "बधिरों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 1.00 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-14 बीत चुका है अत: यह अधिसूचित होगा कि उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

[सं. 107/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)